

# FORM No. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी)

..... वनाम .....  
 किस्म मुकदमा ..... नं. .... सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22-8-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फौद                      उप/अनुपस्थित। वकील प्रार्थीकार                      बोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में                      है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु                      दिनांक 29-8-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Ray</i></p>
29-8-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय                      पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी-                      गण ने न्यायालय जिल्ला कलक्टर सीकर                      में मुक्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना                      जाहिर किया। मुक्तकिली प्रार्थना पत्र में                      टिप्पणी लिखाई जाके पत्रावली अग्रिम                      कार्यवाही हेतु दिनांक 25-10-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>29/8/19</i></p>
25.10.2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय उभय                      पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीयागण ने                      प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र को प्रार्थीयागण                      व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो                      जाने से आगे नहीं चलाकर आज ही खारीज                      करवाया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में मूल                      वादपत्र के खारीज करवा लिये जाने से इस                      प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये                      जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र                      अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज की</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>हुकम डी.वी.वर्ग. बनाम शापुरामवर्ग-</p> <p>शर्वना पत्र</p> <p>क्र.नं. - 115/2015</p> <p>जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

